राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9390/2024

1. जिला क्रिकेट संघ, हनुमानगढ़ अपने माननीय सचिव श्री मनीष कुमार धारणिया पुत्र श्री हेत राम धारणिया उम्र लगभग 53 वर्ष, पता इंद्रा चौक, स्टेशन रोड, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) माध्यम से।
2. मनीष कुमार धारणिया पुत्र श्री हेत राम धारणिया, उम्र लगभग 53 वर्ष, माननीय सचिव जिला क्रिकेट एसोसिएशन, हनुमानगढ़ पता इंद्र चौक के पास स्टेशन रोड, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान).

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां सह रजिस्ट्रार संस्था, नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्कल, भवानी सिंह रोड, जयपुर।
2. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां सह रजिस्ट्रार संस्थान, हनुमानगढ़ जंक्शन (राज.)
3. श्रीमती मंजू सहारण चुनाव अधिकारी, डीसीए हनुमानगढ़ सह निरीक्षक (कार्य), उप रजिस्ट्रार कार्यालय सहकारी समितियाँ, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री विकास बलिया, वरिष्ठ काउंसल श्री विशन दास वैष्णव श्री बी.एस. संधू
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री राजेंद्र प्रसाद, महाधिवक्ता (वीसी के माध्यम से) श्री नाथू सिंह राठौर, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री रविंद्र जाला, एजीसी

माननीय श्री न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

<u>सीएवी निर्णय</u>

<u>रिजर्व किया गया : 06/09/2024</u>

<u>सुनाया गया : 19/09/2024</u>

1. वर्तमान रिट याचिका में उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हनुमानगढ़ द्वारा पारित दिनांक 24.05.2024 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 3 - सुश्री मंजू सहारण, कार्यवाहक निरीक्षक को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है और चुनाव अधिकारी अर्थात् सुरजा राम बिश्नोई, जिन्हें याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा 09.05.2024 को नियुक्त किया गया था, को हटा दिया गया है।

2. आक्षेपित आदेश की सत्यता, वैधानिकता और औचित्य के बारे में दलीलें देने से पहले, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास बालिया ने तथ्यात्मक रूप से निम्न बातें रखीं:-

2.1 याचिकाकर्ता संख्या 1- जिला क्रिकेट संघ, हनुमानगढ़ राजस्थान खेल (एसोसिएशन का पंजीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (जिसे आगे '2005 का अधिनियम' कहा जाएगा) और राजस्थान खेल (एसोसिएशन का पंजीकरण, मान्यता एवं विनियमन) नियम, 2004 (जिसे आगे '2004 के नियम' कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत विधिवत पंजीकृत है।

2.2 याचिकाकर्ता-एसोसिएशन के चुनाव वर्ष 2020 में हुए, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 2 को सचिव चुना गया।

2.3 चूंकि, अधिनियम 2005 की धारा 8 के अनुसार निर्वाचित निकाय का कार्यकाल 4 वर्ष है, इसलिए याचिकाकर्ता संख्या 1 की कार्यकारी समिति ने 04.05.2024 को एक प्रस्ताव पारित कर चुनाव कराने का निर्णय लिया और सुरजा राम बिश्नोई को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया।

2.4 याचिकाकर्ता संख्या 2 - एसोसिएशन के सचिव द्वारा दिनांक 09.05.2024 को एक चुनाव नोटिस जारी किया गया और सभी संबंधितों को सूचित किया गया कि चुनाव शनिवार, 1 जून 2024 को सुबह 9:30 बजे से होंगे और सुरजा राम बिश्नोई चुनाव अधिकारी होंगे। उपरोक्त चुनाव नोटिस के साथ, क्लबों के पात्र पदाधिकारियों की सूची और मतदाता सूची भी प्रकाशित की गई।

2.5 दिनांक 10.05.2024 को निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया, जिसमें चुनाव के प्रत्येक चरण की तिथिवार अनुसूची दी गई। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम तिथि का पृथक नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें पत्राचार एवं

आपत्तियां/नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उनके निवास का पता (मकान संख्या 7/40, आरएचबी कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन) दिया गया।

2.6 चुनाव होने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 16.05.2024 को नोटिस जारी कर अधिनियम 2005 की धारा 23 के अंतर्गत जांच प्रारंभ की।

2.7 याचिकाकर्ताओं ने उक्त जांच को मनमाना एवं प्रतिशोधात्मक बताते हुए एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8529/2024, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और एक अंतरिम आदेश (दिनांक 21.05.2024) पारित करने की कृपा की थी, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता-एसोसिएशन के चुनाव दिनांक 10.05.2024 के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार रिट याचिका के परिणाम के अधीन रहेंगे।

2.8 प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस जारी करने और अंतरिम आदेश के बारे में दिनांक 23.05.2024 के पत्र/ई-मेल के माध्यम से सूचित किया गया था।

2.9 अगली तारीख यानी 24.05.2024 को तुरन्त प्रतिवादी संख्या 2 ने नियम 2004 के नियम 11(3),11(6),11(7) और 11(8) का कथित प्रयोग करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया।

3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलिया ने शुरू में ही आक्षेपित आदेश को प्रतिशोधात्मक और मनमाना करार दिया और आरोप लगाया कि इसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और याचिकाकर्ताओं की पिछली रिट याचिका को निरर्थक बनाने के लिए पारित किया गया है।

4. उन्होंने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश कई आधारों पर रद्द किए जाने योग्य है - दुर्भावनापूर्ण होना; शून्य होना और अधिकार क्षेत्र से बाहर होना (क्योंकि नियम 2004 का नियम 11 केवल 2005 के अधिनियम की धारा 26 के तहत आयोजित चुनावों के उद्देश्य के लिए लागू है); प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए (क्योंकि याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था) और तथ्यात्मक रूप से भी गलत है - क्योंकि अपेक्षित तथ्य अनुपस्थित थे।

5. यह स्थापित करने के लिए कि कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि आदेश में 24.05.2024 को तीन व्यक्तियों (इंद्रजीत, गौरव जैन आदि) द्वारा कथित रूप से लिखे गए एक पत्र का संदर्भ दिया गया है, जिन्होंने तीन अनियमितताओं की ओर इशारा किया है:

(i) चुनाव 'विरासत विद्यापीठ', रीको, हनुमानगढ़ जंक्शन में होने हैं, जो उनके अनुसार एक निजी स्थान है और इसे सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता - चुनाव कराने के लिए उपयुक्त स्थान;

(ii) चुनाव अधिकारी ने पत्राचार और आपत्तियां प्रस्तुत करने के उद्देश्य से अपने स्वयं के निवास का पता दिया है; जो 2004 के नियमों के नियम 11(6) के अनुसार नहीं था;

(iii) चुनाव अधिकारी ने आपत्तिकर्ताओं से आपत्तियाँ नहीं ली हैं और अवैध रूप से अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की है।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलिया ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्यवाही की है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सबसे पहले 2005 के अधिनियम की धारा 23 के तहत जांच शुरू की गई थी और जब इस न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, तो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 ने यह आदेश पारित किया, जो यह सुनिश्चित करने की एक चाल थी कि न केवल चुनाव बल्कि उनके परिणाम भी उसके राजनीतिक आकाओं की मर्जी के अनुसार सुरक्षित हों।

7. उन्होंने प्रस्तुत किया कि 23.05.2024 को उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने और 21.05.2024 के अंतरिम आदेश के बारे में प्रतिवादी संख्या 2 को सूचना दी गई और अगले ही दिन एक कथित शिकायत का मंचन किया गया और चुनौती के तहत आदेश उसी दिन पारित कर दिया गया, वह भी संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) को कोई नोटिस जारी किए बिना।

8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 24.05.2024 को शिकायत प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 2 ने शिकायतकर्ताओं के हलफनामे मांगे और तुरंत ही आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए अपनी चिंता व्यक्त की कि शिकायतकर्ताओं को अनुचित सुविधा प्रदान करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ताओं की नहीं तो कम से कम चुनाव अधिकारी की प्रतिक्रिया प्राप्त करना भी उचित नहीं समझा।

9. उन्होंने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 का दृष्टिकोण और जिस तरह से आदेश पारित किया गया है, उससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 2 पहले से ही तय था और अपनी पसंद के परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से चुनाव को प्रभावित करने के लिए आमादा था।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने फिर अपने दूसरे आधार पर कहा कि नियम 2004 के नियम 11(3), 11(6), 11(7) और 11(8) के कथित प्रयोग में पारित किया गया आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है, क्योंकि न केवल अध्याय V का अध्याय शीर्षक, जिसके अंतर्गत नियम रखे गए हैं, बल्कि उसमें प्रयुक्त भाषा भी यह सुझाव देती है कि नियम 11 के प्रावधान केवल 2004 के अध्यादेश के लागू होने के समय उपयोग किए जाने वाले अस्थायी प्रावधान थे और बाद के चुनावों पर लागू नहीं थे।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्ष 2004 में खेल अध्यादेश के लागू होने से पहले, विभिन्न खेल संघों को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था और राज्य अधिकारियों का बहुत अधिक हस्तक्षेप था और यह केवल राजनीति को खेलों से दूर रखने के लिए था; खेल संघों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने और राज्य के हस्तक्षेप को रोकने के लिए अध्यादेश लागू किया गया।

12. उन्होंने कहा कि अध्यादेश की योजना को ध्यान में रखते हुए 2004 के नियम बनाए गए और संक्रमण काल के लिए होने वाले पहले चुनावों को छोड़कर राज्य के हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए 2004 के नियम 11 को अधिनियमित किया गया, जो नियम 2004 के अध्यादेश / 2005 के अधिनियम की धारा 26 के तहत चुनावों तक ही सीमित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2005 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है, जो अध्याय III (2005 के अधिनियम की धारा 13) द्वारा शासित बाद के चुनावों पर लागू हो।

13. यह बताते हुए कि विषयगत चुनाव 2005 के अधिनियम के अध्याय III द्वारा शासित नियमित चुनाव हैं, जिन्हें एसोसिएशन के उप-नियमों के अनुसार आयोजित किया जाना है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, प्रतिवादी संख्या 2 2004 के नियमों के नियम 11 का सहारा नहीं ले सकता था और आक्षेपित आदेश पारित नहीं कर सकता था।

14. उन्होंने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि 2004 के नियमों के नियम 11 में 2005 के अधिनियम की धारा 13 का कोई संदर्भ नहीं है और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नियम 11 के तहत शक्तियों का आह्वान और 24.05.2024 का परिणामी आदेश शुरू से ही शून्य है।

15. अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए कि आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, विद्वान वरिष्ठ वकील के पास कई प्रस्तुतियाँ थीं। उन्होंने सबसे पहले न्यायालय का ध्यान चुनौती दिए गए आदेश की तारीख की ओर

आकर्षित किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि कथित शिकायत प्रतिवादी संख्या 2 को 24.05.2024 को प्राप्त हुई थी और उसी दिन प्रतिवादी संख्या 2 ने जल्दबाजी में आक्षेपित आदेश पारित कर दिया।

16. उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 को कम से कम कथित तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं या चुनाव अधिकारी को औपचारिक नोटिस जारी करना आवश्यक था। श्री बालिया थोड़ा चिंतित दिखे, जब उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 शिकायतकर्ताओं की दलीलों को कैसे सच मान सकता है और चुनाव अधिकारी को हटाने और अपने अधीनस्थ सुश्री मंजू सहारण को उक्त कुर्सी पर बदलने का चरम कदम कैसे उठा सकता है!

17. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिस तरह से आदेश पारित किया गया है, उससे स्पष्ट रूप से दुर्भावना की बू आती है। उनके अनुसार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ताक पर रखकर आदेश पारित करना शक्तियों का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग था, क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि उस समय तक नामांकन पत्र भी जमा नहीं किए गए थे और चुनाव की तारीख भी बहुत दूर थी।

18. उपरोक्त तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिन आधारों और कारणों से आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, वे किसी भी विवेकशील दिमाग को चुनौती दिए गए आदेश जैसा आदेश पारित करने के लिए राजी नहीं कर सकते। अपने तर्क को और विस्तृत करते हुए, श्री बालिया ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नोटिस किए गए शिकायत में दिया गया पहला कारण यह था कि "चुनाव एक निजी स्कूल में हो रहे थे, जिसे सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता", अस्थिर है। उन्होंने कहा कि स्कूल सरकारी या निजी हो सकता है, लेकिन यह एक सार्वजनिक स्थान है और इसलिए इस कारण से यह आदेश पारित नहीं किया जा सकता। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि ‘विरासत विद्यापीठ’ एक स्कूल है और यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक निजी स्थान है, जहां निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है।

19. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तब प्रस्तुत किया कि दूसरा कारण जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 2 ने चुनाव अधिकारी को बदल दिया है (जैसा कि आक्षेपित आदेश में दर्ज है) वह यह है कि दो पते, एक आपत्ति आमंत्रित करने के लिए और दूसरा चुनाव कराने के लिए, संदेह पैदा करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 का आदेश भी उतना ही त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव अधिकारी के पास आपत्ति आमंत्रित करने और नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से अपने स्वयं के

निवास का पता देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि वह सेवानिवृत्त हो चुके थे और एक आम आदमी थे।

20. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन आदेश में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा देखे गए तथ्यों को नियम 2004 के नियम 11 के उप-नियम (6) के आदेश का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उप-नियम (6) के अनुसार चुनाव सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए न कि निजी आवास या निजी परिसर में। उन्होंने तर्क दिया कि स्कूल एक सार्वजनिक स्थान है न कि निजी परिसर, इसलिए, आक्षेपित आदेश तथ्यों और कानून के विपरीत है, साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि मंजू सहारण द्वारा आयोजित चुनाव एक होटल में हुए थे।

21. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह विवाद का विषय नहीं है कि चुनाव हनुमानगढ़-जिला मुख्यालय पर होने थे और यदि प्रतिवादी संख्या 2 को इस बात की कोई चिंता या आशंका थी कि चुनाव 2004 के नियमों के नियम 11 के उप-नियम (6) के विपरीत है, तो वह चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी कर सकते थे या अधिक से अधिक चुनाव का स्थान बदल सकते थे, ताकि चुनाव को उनके दृष्टिकोण के अनुरूप रखा जा सके कि चुनाव किसी सार्वजनिक स्थान पर होना है।

22. ऐसा कहने के पश्चात, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्राप्त तथ्यों को सही माना भी जाए, तो भी प्रतिवादी संख्या 2 के लिए चुनाव अधिकारी को बदलने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि चुनाव अधिकारी के पक्षपाती होने या चुनाव प्रक्रिया के दूषित होने के कोई आरोप या साक्ष्य नहीं थे।

23. यह भी तर्क दिया गया कि निर्वाचन अधिकारी को केवल 2004 के नियम 11 के उप-नियम (7) के अनुसार ही बदला जा सकता है, जिसके लिए रजिस्ट्रार की संतुष्टि की आवश्यकता होती है कि निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति 2004 के नियम 11 के उप-नियम (3) के अनुसार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि 2004 के नियम 11 के उप-नियम (7) के अनुसार, रजिस्ट्रार ही अधिक से अधिक स्थान बदल सकता है, निर्वाचन अधिकारी नहीं।

24. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न तो ऐसा कोई आरोप है और न ही कोई निष्कर्ष है कि निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति 2004 के नियम 11 के उप-नियम (3) के विपरीत थी और इसलिए, उनकी नियुक्ति को रद्द करने का आक्षेपित आदेश शून्य और निरर्थक है।

25. श्री नाथू सिंह राठौर, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने दलीलें दीं, लेकिन न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सके कि प्रतिवादी संख्या 2, 2004 के नियम 11(6) का हवाला देते हुए आपत्तिजनक आदेश कैसे पारित कर सकता है, जबकि नियम 11, 2005 के अधिनियम की धारा 26 के तहत हुए चुनावों पर स्पष्ट रूप से लागू होता है।

26. चूंकि, विचाराधीन मुद्दा न केवल कानून का प्रश्न है, बल्कि मौलिक महत्व का भी है, क्योंकि इसका असर ऐसे कई आदेशों पर पड़ सकता है, जो रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार द्वारा 2004 के नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किए गए हैं, इसलिए राज्य ने श्री राजेंद्र प्रसाद, विद्वान महाधिवक्ता से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया है। विद्वान महाधिवक्ता ने मामले के प्रत्येक पहलू पर विस्तृत और विद्वतापूर्ण प्रस्तुतियाँ दीं, लेकिन 24.05.2024 के आदेश की वैधता और औचित्य के बारे में याचिकाकर्ताओं की दलीलों का जवाब नहीं दिया।

27. याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त आदेश को चुनौती दिए जाने के संबंध में, विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त आदेश को 2005 के अधिनियम की धारा 35 के तहत राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी जा सकती है और राज्य सरकार के ऐसे आदेश को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और चूंकि अधिनियम के तहत एक पूरी मशीनरी प्रदान की गई है और इसके अलावा जब राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका इस न्यायालय को प्रदान की गई है, तो उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आदेश की योग्यता पर विचार करते समय संयम बरता जाना चाहिए।

28. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि चुनौती के तहत आदेश की सत्यता और वैधता की जांच राज्य सरकार (युवा मामले और खेल विभाग) के सचिव द्वारा आदेश के 30 दिनों के भीतर दायर अपील के अनुसरण में की जा सकती है और इसलिए, इस अदालत को दिनांक 24.05.2024 के आदेश की सत्यता और वैधता पर विचार नहीं करना चाहिए, जहां तक तथ्यों का उल्लेख किया गया है और उसके तहत दिए गए तर्क का संबंध है।

29. यह सूचित करते हुए कि दिनांक 24.05.2024 के आदेश के अनुसरण में, नवनियुक्त चुनाव अधिकारी - सुश्री मंजू सहारण ने चुनाव आयोजित किए हैं और जिला क्रिकेट संघ, हनुमानगढ़ की नई कार्यकारिणी चुनी गई है, विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यहां तक कि याचिकाकर्ताओं ने भी चुनाव प्रक्रिया को जारी रखा है जो कि उक्त सुरजा राम बिश्नोई के तत्वावधान में दिनांक 10.05.2024 के चुनाव नोटिस द्वारा निर्धारित की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि

याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2 के आदेश की अनदेखी की है और अपने मताधिकार का दावा करने के लिए राज्य संघ के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया है, इसलिए उन्हें कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के कहने पर रिट याचिका, जिन्होंने रजिस्ट्रार के आदेश का उल्लंघन किया है, पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

30. यह सूचित करते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से दिनांक 24.05.2024 के आदेश को चुनौती दी है, लेकिन चूंकि कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था, विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य की परवाह किए बिना चुनाव कराए हैं कि उक्त चुनाव अधिकारी (सूरजा राम बिश्नोई) ने चुनाव अधिकारी के रूप में काम करना बंद कर दिया है। यह तर्क दिया गया कि कानून के उल्लंघनकर्ताओं द्वारा संवैधानिक न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना निंदनीय है।

31. विद्वान महाधिवक्ता ने कहा कि किसी भी स्थिति में, मामले के तथ्यों ने एक चुनाव विवाद को जन्म दिया है, जिसे केवल 2005 के अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रदान की गई मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों में से एक (राहुल जैन) ने पहले ही 2005 के अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रदान की गई मध्यस्थता का आह्वान किया है और इसलिए, इस अदालत को मामले की योग्यता में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जो कि मूलतः एक चुनाव विवाद है, क्योंकि 2005 के अधिनियम की धारा 16 के तहत एक प्रभावी उपाय प्रदान किया गया है।

32. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान महाधिवक्ता ने भारत के चुनाव आयोग बनाम बजरंग बहादुर सिंह और अन्य जो (2015) 12 एससीसी 570 में रिपोर्ट किया गया के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया।

33. अंत में, मुद्दे को संबोधित करते हुए नियम 11 और अध्याय 5 की प्रयोज्यता के बारे में, विद्वान महाधिवक्ता ने अपनी सामान्य निष्पक्षता के साथ यह प्रस्तावना प्रस्तुत की कि नियम 11 और अध्याय 5 में दिए गए संगत प्रावधानों को सरलता से पढ़ने से पता चलता है कि ये केवल उन चुनावों के लिए लागू हैं जो संक्रमण काल के दौरान पहली बार आयोजित किए गए थे और जो 2004 के अध्यादेश की धारा 26 (2005 के अधिनियम की धारा 26 के समरूप) द्वारा शासित थे।

34. स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए कि रजिस्ट्रार को हस्तक्षेप करने और इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय जैसे आदेश पारित करने की अनुमति देने

वाला कोई संगत प्रावधान नहीं है, विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि नियमों को तैयार करते समय, जिन्हें असावधानी के कारण 2004 के अध्यादेश के प्रख्यापन के साथ ही पेश किया गया था, न तो 2004 के नियमों के नियम 11 में निहित प्रावधान डाला गया था और न ही 2004 के नियमों के नियम 11 और अध्याय V को बाद में संघों के बाद के चुनावों को कवर करने के लिए संशोधित किया गया था, जैसा कि 2004 के अध्यादेश के अध्याय III और 2005 के अधिनियम के तहत परिकल्पित है।

35. विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक बार संक्रमण काल समाप्त हो गया था, और पहले आयोजित चुनाव समाप्त हो गए थे, अध्याय V और उसके तहत निहित नियमों को उस रूप में रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिस रूप में उन्हें तैयार किया गया था और वास्तव में, 2004 के नियमों के नियम 11 को संशोधित या प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए था।

36. नियमों में संशोधन किए जाने की कानूनी स्थिति को स्वीकार करते हुए, विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने पहले ही राज्य सरकार को 2004 के नियमों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए सलाह दी है और प्रभावित किया है, लेकिन जब तक नियमों में संशोधन नहीं किया जाता है, रजिस्ट्रार और उनके प्रतिनिधि द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को बचाया जाना चाहिए।

37. विद्वान महाधिवक्ता ने दलील दी कि पिछले बीस वर्षों से रजिस्ट्रार और उनके प्रतिनिधि 2004 के नियमों के नियम 11 का सहारा ले रहे हैं और न केवल राज्य बल्कि सभी मध्यस्थ और न्यायालय भी नियम 11 के तहत पारित आदेशों को वैध रूप से पारित आदेश मानते रहे हैं, इसलिए पिछले बीस वर्षों से चली आ रही और प्रचलित प्रथा में खलल न डाला जाए।

38. उन्होंने दलील दी कि विधायी कमी या अंतराल, जो असावधानी के कारण या जिसे उन्होंने 'कासस ओमिसस' कहा है, को इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की योजना और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए भरा जाना चाहिए।

39. 'कासस ओमिसस' के सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्य से, विद्वान महाधिवक्ता ने भारत संघ और अन्य बनाम राजीव कुमार बानी सिंह, (2003) 6 एससीसी 516 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। विशेष रूप से पैरा संख्या 23 से 28, जो इस प्रकार है:

> "23. निर्माण के दो सिद्धांत - एक कैसस ओमिसस से संबंधित है और दूसरा क़ानून/वैधानिक प्रावधान को समग्र रूप से पढ़ने के संबंध

में - अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होते हैं। पहले सिद्धांत के तहत न्यायालय द्वारा कैसस ओमिसस की आपूर्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि स्पष्ट आवश्यकता न हो और जब क़ानून के चारों कोनों में इसका कारण पाया जाता है। लेकिन, साथ ही कैसस ओमिसस का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए क़ानून या धारा के सभी भागों को एक साथ समझा जाना चाहिए और धारा के प्रत्येक खंड को संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए ताकि किसी विशेष प्रावधान पर लगाए जाने वाले निर्माण से पूरे क़ानून का सुसंगत अधिनियमन हो सके। यह तब और भी अधिक होगा जब किसी विशेष खंड का शाब्दिक निर्माण स्पष्ट रूप से बेतुके या असंगत परिणामों की ओर ले जाता है जो विधायिका द्वारा इरादा नहीं किया जा सकता था। "अनुचित परिणाम उत्पन्न करने का इरादा", कहा डैनकवर्ट्स, एल.जे. ने आर्टेमियो बनाम प्रोकोपियो में कहा, "यदि कोई अन्य निर्माण उपलब्ध है तो इसे किसी क़ानून में नहीं लगाया जाना चाहिए"। जहाँ शब्दों को शाब्दिक रूप से लागू करना "कानून के स्पष्ट इरादे को पराजित करेगा और एक पूरी तरह से अनुचित परिणाम उत्पन्न करेगा" हमें "शब्दों के साथ कुछ हिंसा करनी चाहिए" और इस तरह उस स्पष्ट इरादे को प्राप्त करना चाहिए और एक तर्कसंगत निर्माण करना चाहिए। (ल्यूक बनाम आईआरसी में लॉर्ड रीड के अनुसार, जहाँ एसी ने पृष्ठ 577 पर यह भी कहा: "यह कोई नई समस्या नहीं है, हालाँकि हमारे प्रारूपण का मानक ऐसा है कि यह शायद ही कभी सामने आता है"।

24. यह सच है कि, "जब कानून के शब्द किसी ऐसी असुविधा तक नहीं पहुंचते जो कभी-कभार होती है, बल्कि उन तक पहुंचते हैं जो अक्सर होती हैं, तो यह अच्छा कारण है कि शब्दों को उनकी पहुंच से परे न खींचा जाए, यह कहकर कि यह कैसस ओमिसस है, और कानून का उद्देश्य क्वाए फ्रीक्वेंटियस एक्सीडेंट है।"

"लेकिन," दूसरी ओर, "यह कोई कारण नहीं है, जब कानून के शब्द किसी ऐसी असुविधा तक पहुंचते हैं जो कभी-कभार होती है, तो उन्हें उस तक नहीं पहुंचना चाहिए जैसे कि यह अधिक बार हुआ हो, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है" (फेंटन बनाम हैम्पटन देखें)।

कैसस ओमिसस को व्याख्या द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए, सिवाय कुछ मामलों में जब इसकी सख्त आवश्यकता हो। हालांकि, जहां वास्तव में कोई कैसस ओमिसस घटित होता है, चाहे वह विधानमंडल की असावधानी के कारण हो या quod enim semel aut bis existit praetereuntlegiates के सिद्धांत पर, नियम यह है कि विशेष मामले को, जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, का निपटारा ऐसे कानून के अनुसार किया जाना चाहिए जैसा कि ऐसे क़ानून से पहले मौजूद था - casus omissus et oblivioni datus dispositioni juris communis relinquitur; "एक कैसस ओमिसस", बुलर, जे. ने जोन्स बनाम स्मार्ट में कहा, "किसी भी मामले में कानून की अदालत द्वारा आपूर्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसा करना कानून बनाना होगा"।

25. वसीयत, क़ानून और वास्तव में सभी लिखित दस्तावेज़ों की व्याख्या करने का सुनहरा नियम इस प्रकार बताया गया है:

"शब्दों के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ का पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि इससे कोई बेतुकापन या कोई प्रतिकूलता या दस्तावेज़ के बाकी हिस्सों के साथ असंगति न हो, ऐसी स्थिति में शब्दों के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ को संशोधित किया जा सकता है, ताकि उस बेतुकेपन और असंगति से बचा जा सके, लेकिन इससे आगे नहीं"। (ग्रे बनाम पियर्सन देखें)।

हालाँकि, इस "सुनहरे नियम" के उत्तरार्द्ध भाग को बहुत सावधानी से लागू किया जाना चाहिए। "यदि," सी.जे. जर्विस ने टिप्पणी की,

"हमारे निर्णय में प्रयुक्त सटीक शब्द साफ और स्पष्ट हैं, तो हम उन्हें उनके सामान्य अर्थ में व्याख्या करने के लिए बाध्य हैं, भले ही वे मामले के हमारे दृष्टिकोण में, बेतुकेपन या स्पष्ट अन्याय की ओर ले जाते हों। शब्दों को संशोधित या बदला जा सकता है, जहां उनका अर्थ संदिग्ध या अस्पष्ट है। लेकिन हम विधायकों के कार्यों को तब ग्रहण करते हैं जब हम प्रयुक्त सटीक शब्दों के सामान्य अर्थ से अलग हट जाते हैं, केवल इसलिए कि हम देखते हैं, या कल्पना करते हैं कि हम उनके शाब्दिक अर्थ के पालन से बेतुकापन या स्पष्ट अन्याय देखते हैं" (एबली बनाम डेल देखें)।

26. इसलिए अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि नियम 10(2) के संदर्भ में आदेश केवल वास्तविक हिरासत की अवधि तक ही सीमित नहीं है। यह तब तक प्रभावी बना रहता है जब तक कि उपनियम (5)(सी) के अंतर्गत इसे संशोधित या निरस्त नहीं कर दिया जाता, जैसा कि उपनियम (5)(ए) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

27. नियम 10(5)(बी) ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है या निलंबित माना जाता है और निलंबन के जारी रहने के दौरान उसके खिलाफ कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है, भले ही पिछला निलंबन किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में था या अन्यथा। नियम 10(5)(बी) को तभी लागू किया जा सकता है जब निलंबन या निलंबन माना जाने वाला निलंबन पहले से लागू था, उसके अलावा कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू की जाती है, ताकि ऐसी सभी कार्यवाहियों की समाप्ति तक स्थिति से निपटा जा सके। इसके विपरीत, नियम 10(5)(ए) पहले से किए गए या किए गए माने गए निलंबन आदेश के संबंध में लागू होता है। नियम 10(5)(बी) वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है और प्रतिवादियों के लिए अपनाए गए रुख या उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के लिए कोई प्रेरणा या समर्थन नहीं लिया जा सकता है। यह नियम 10(5)(ए) ही है जो लागू है और माना गया निलंबन तब तक लागू रहेगा जब तक नियम 10(5)(सी) के तहत कुछ नहीं किया जाता है। इसी तरह, नियम 10(3) और 10(4) अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और केवल इसलिए कि उनके जारी रहने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है, कुछ और घटनाओं के होने और न्यायालय या अपीलीय और समीक्षा प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के हस्तक्षेप के कारण, ऐसी विशिष्ट घटनाओं को पूरा करने और उन्हें दूर करने के लिए, दी गई परिस्थितियों में आगे के आदेशों तक और यह किसी भी तरह से नियम 10(2) के तहत किए गए निलंबन के आदेश को प्रभावित नहीं करता है।

28. नेल्सन मोटिस बनाम भारत संघ के मामले पर यह तर्क देने के लिए पूरा भरोसा किया गया कि नियम 10(2) में "अगले आदेश तक" अभिव्यक्ति को जानबूझकर छोड़ा गया था और इसलिए, "माना

गया निलंबन" के लिए कवर की गई अवधि हिरासत की अवधि तक सीमित थी। ऐसी दलील में कोई दम नहीं है। नेल्सन मामले में नियम 10(2) और नियम 10(3) के संबंधित दायरे और सीमा पर विचार किया गया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उक्त प्रावधान वैचारिक और प्रासंगिक रूप से अलग-अलग स्थितियों में लागू होते हैं और नियम 10(2) के तहत परिकल्पित स्थिति से इनका दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। वास्तव में, इस न्यायालय ने उक्त मामले में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित टिप्पणी की:

"भाषा की उप-नियम (3) से तुलना इस निष्कर्ष को पुष्ट करती है कि उप-नियम (4) को प्राकृतिक अर्थों में समझा जाना चाहिए।"

40. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलिया ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि न तो 2005 के अधिनियम की धारा 35 के तहत अपील के वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व और न ही 2005 के अधिनियम की धारा 16 में निहित मध्यस्थता का प्रावधान इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोक सकता है, खासकर तब जब चुनौती के तहत आदेश मूल रूप से क्षेत्राधिकार के बिना है और इसे केवल इस न्यायालय द्वारा 21.05.2024 को पारित अंतरिम आदेश को दरकिनार करने और याचिकाकर्ता संख्या 2 को एसोसिएशन के कार्यकारी निकाय से बाहर करने के उद्देश्य से पारित किया गया है।

41. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक उपाय के तर्क पर तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आलोक में विचार किया जाता है, तो पीड़ित पक्ष को सबसे पहले 24.05.2024 के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करनी होगी और फिर (चूंकि चुनाव हो चुके हैं), 2005 के अधिनियम की धारा 16 के तहत परिकल्पित मध्यस्थता के लिए कार्यवाही शुरू करनी होगी।

42. उन्होंने प्रस्तुत किया कि 2005 के अधिनियम की धारा 16 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाला मध्यस्थ न तो 24.05.2024 के आदेश को रद्द कर सकता है और न ही वह नए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की वैधता तय कर सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को दो उपाय करने होंगे, एक सचिव के समक्ष धारा 35 के तहत और दूसरा मध्यस्थ के समक्ष 2005 के अधिनियम की धारा 16 के तहत।

43. उन्होंने तर्क दिया कि इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय न तो नई चुनाव अधिकारी सुश्री मंजू सहारण द्वारा की गई कार्यवाही है और न ही उसके बाद की गई कोई कार्रवाई है, इसलिए, 2005 के अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रदान की गई मध्यस्थता का उपाय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। उन्होंने

तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने नवनियुक्त चुनाव अधिकारी (सुश्री मंजू सहारण) की देखरेख में हुए चुनावों के संबंध में कोई आधार नहीं उठाया है, इसलिए अधिनियम की धारा 16 के तहत चुनाव याचिका का उपाय भी उपलब्ध नहीं है।

44. यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि राज्य और उसके अधिकारियों की ओर से दुर्भावनापूर्ण अभ्यास बड़े पैमाने पर है और आक्षेपित कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित है, जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स से स्पष्ट है, अपील का उपाय उपलब्ध होने पर भी भ्रामक होगा। क्योंकि, 2005 के अधिनियम की धारा 35 के तहत कार्यरत अपीलीय प्राधिकरण एक स्वतंत्र प्राधिकरण नहीं है और उसके पास दिनांक 24.05.2024 के आदेश के प्रभाव और संचालन को रोकने का कोई अधिकार नहीं है।

45. श्री बालिया ने अंत में प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश पारित करने के तीन दिनों के भीतर, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और यह राज्य है, जो इस मामले के 28.05.2024 को इस न्यायालय के विचारार्थ आने के बाद से समय ले रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि दलीलें पूरी हो चुकी हैं और राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी द्वारा विस्तृत तर्क दिए जा चुके हैं, इसलिए रिट याचिका को वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब बिना किसी तथ्यात्मक विवाद के कानून का एक शुद्ध प्रश्न इस न्यायालय के विचारार्थ आया हो।

46. विद्वान महाधिवक्ता द्वारा 'कैसस ओमिसस' के सिद्धांत के बारे में दिए गए निवेदन का जवाब देते हुए श्री बलिया ने कहा कि उक्त सिद्धांत की न तो कोई भूमिका है और न ही न्यायालय को इसका आह्वान करना चाहिए, क्योंकि यह राज्य का सचेत निर्णय है कि 2004 के नियमों में कोई समरूप प्रावधान प्रदान नहीं किया जाएगा, जब अध्याय III (2005 के अधिनियम की धारा 13) द्वारा शासित बाद के चुनावों की बात आती है।

47. उन्होंने जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया कि 2005 के अधिनियम की योजना स्पष्ट रूप से बताती है कि विधायक और नियम बनाने वाले अधिकारी राज्य द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप चाहते थे और इसीलिए प्राथमिक, जिला और यहां तक कि राज्य स्तर पर खेल संघों को स्वायत्तता प्रदान की गई है और जहां तक चुनावों का संबंध है, राज्य सरकार के समक्ष कोई वैधानिक अपील प्रदान किए बिना मध्यस्थता की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 2005 के अधिनियम की धारा 35 के तहत

अपील का प्रावधान किया गया है ताकि रजिस्ट्रार और उसके अधीनस्थों को कानून के दायरे में रखा जा सके।

48. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

49. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय उद्देश्यों और कारणों के कथन पर ध्यान देना उचित समझता है, जो 2005 के अधिनियम के लागू होने के समय विचार के लिए रखे गए थे। उद्देश्यों और कारणों के इन कथनों को इस न्यायालय की खंडपीठ ने किशोर रूंगटा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6090/2004) के मामले में पारित अपने दिनांक 23.07.2012 के निर्णय में नोट किया है, जो इस प्रकार है:

"(क) उद्देश्य और लक्ष्य:

"भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51ए (जे) भारत के प्रत्येक नागरिक पर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करने का कर्तव्य डालता है, ताकि राष्ट्र प्रयास और उपलब्धियों के उच्च स्तर तक पहुंच सके। खेल और खेल गतिविधियों में भागीदारी व्यक्ति के चरित्र, अनुशासन, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सकारात्मक आत्म-छवि, कल्याण की भावना को विकसित करने में मदद करती है और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती है। खेल यह भी सिखाते हैं कि टीम के हिस्से के रूप में कैसे काम किया जाए, सफलता और निराशाओं का प्रबंधन कैसे किया जाए, दूसरों का सम्मान कैसे किया जाए और सामाजिक कौशल और क्षमता कैसे विकसित की जाए। खेल एक पेशे के रूप में भी उभर रहे हैं और खेल आयोजन का खेल पर्यटन में अपना अर्थशास्त्र है।

राजस्थान राज्य में खेलों के विकास के लिए मौजूदा खेल संघ और खेल निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में राज्य का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। खेल निकाय या तो पंजीकृत नहीं हैं या राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के तहत पंजीकृत हैं, जो प्रभावी नियामक तंत्र प्रदान नहीं करता है। भले ही राजस्थान राज्य खेल परिषद राज्य का प्रमुख निकाय है, लेकिन इसकी भूमिका सीमित है। संघों या निकायों की गतिविधियों की विस्तृत तारीख के अभाव में, प्रदर्शन के लिए कोई जवाबदेही तय नहीं

की जा सकती है और न ही उन्हें राज्य में खेलों के विकास के लिए प्रभावी रूप से प्रोत्साहित किया जा सकता है।

विधेयक का उद्देश्य राज्य में राज्य, जिला और निचले स्तर पर खेल और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। विनियमन के माध्यम से राज्य लोकतांत्रिक संरचना बनाने का प्रयास करता है, जो खिलाड़ियों के विकास, एथलेटिक फिटनेस के विकास को प्रोत्साहित करेगा और खेलों में युवा प्रतिभाओं को लाने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और मानकों को पूरा करने के लिए आदर्श व्यवहार बनाने में मदद करेगा। यह खेल संघों के लिए उनकी भूमिकाओं, दायित्वों और संबंधों को सटीकता के साथ परिभाषित करके उनके लिए काम करने का एक स्वस्थ वातावरण भी बनाएगा, जिससे खेल संघों को राजस्थान के लिए पुरस्कार और पदक जीतने की चाह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए युवा प्रतिभाओं को पोषित, विकसित और तैयार करने में मदद मिलेगी। बड़ी संख्या में खेल संघ राजस्थान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तथा बिना किसी तथ्यात्मक प्रतिनिधि क्षमता के राजस्थान, इसके जिलों अथवा राजस्थान के किसी भाग का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं, जो ओलंपिक चार्टर तथा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का उल्लंघन है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ महासंघों एवं संघों के कामकाज को पारदर्शी, पेशेवर एवं जवाबदेह बनाने का प्रावधान है। इसके लिए ऐसे निकायों का विनियमन आवश्यक हो गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रतिनिधि चरित्र में कार्य कर रहे हैं तथा सभी स्तरों पर खेल इकाइयों को जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिले, ताकि खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके। यह विधेयक खेल संघों को राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने तथा जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने, भाई-भतीजावाद को हतोत्साहित करने, चयन प्रक्रिया के लिए गहन एवं व्यापक नेटवर्क बनाने, स्वाभाविक खिलाड़ियों की पहचान करने एवं उन्हें बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया विकसित करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। विधेयक में विभिन्न खेल संघों के बीच संबद्धता और चुनाव से संबंधित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का भी प्रावधान है, जो अदालतों में मुकदमेबाजी का कारण बनते हैं और खिलाड़ियों का ध्यान उत्कृष्टता प्राप्त करने से भटकाते हैं।

चूंकि राजस्थान विधानसभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां मौजूद थीं, जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 18 अगस्त, 2003 को राजस्थान खेल (संघों का पंजीकरण, मान्यता और विनियमन) अध्यादेश, 2004 (अध्यादेश संख्या 6, 2004) प्रख्यापित किया, जिसे राजस्थान राजपत्र, भाग IV (बी) असाधारण, दिनांक 18 अगस्त, 2004 में प्रकाशित किया गया था। तब से यह महसूस किया गया कि कुछ प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है। तदनुसार धारा 2, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 22, 26, 35 और अनुसूची ए और सी में कुछ मामूली संशोधन किए गए हैं। विधेयक उपरोक्त संशोधनों के साथ उपरोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। इसलिए विधेयक।"

50. त्वरित संदर्भ के लिए, अधिनियम, 2005 की धारा 13, 23, 26 और 35 को नीचे पुनः उद्धृत किया जा रहा है:

"13. चुनाव- (1) राज्य स्तरीय खेल संघ के कार्यकारी निकाय का चुनाव राजस्थान राज्य खेल परिषद के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में होगा। जिला स्तरीय खेल संघ के कार्यकारी निकाय का चुनाव राज्य स्तरीय खेल संघ के पर्यवेक्षक और जिला खेल परिषद के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में होगा।

(2) खेल संघ के कार्यकारी निकाय के चुनाव के समापन पर, चुनाव अधिकारी पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें निर्वाचित सदस्यों के नाम और पते दिए गए होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने पर निर्वाचित कार्यकारी निकाय खेल संघ का कार्यभार संभालेगा। चुनाव अधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतियां रजिस्ट्रार और राजस्थान राज्य खेल परिषद को भेजेगा।

23. जांच.-

(1) रजिस्ट्रार-

(क) राज्य स्तरीय खेल संघ के अनुरोध पर, या

(ख) खेल संघ के कुल सदस्यों के दसवें भाग से अन्यून के अनुरोध पर, या

(ग) स्वप्रेरणा से, स्वयं या उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जांच कर सकता है।

(2) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को किसी जांच के प्रयोजनार्थ संबंधित खेल संघ के अभिलेखों का निरीक्षण करने, प्रस्तुतीकरण का निर्देश देने तथा जांच के प्रयोजनार्थ किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपि लेने की सभी शक्तियां होंगी।

26. मान्यता- (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य या जिला स्तर पर खेल या खेलकूद गतिविधियों में भाग लेने वाला कोई संघ और जो पहले से ही राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के तहत पंजीकृत है, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत और मान्यता प्राप्त होने का विकल्प चुनने और रजिस्ट्रार को आवेदन करने पर उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा और इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार की संतुष्टि के लिए अपने उपनियमों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित करेगा और इस अधिनियम की अनुसूची "ए" में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीस दिन के भीतर ऐसा कोई आवेदन नहीं किया जाता है या यदि उप-धारा (1) के तहत आने वाले खेलकूद संघ के उपनियम इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं लाए जाते हैं, तो इस अधिनियम के लागू होने के तीस दिन के पश्चात खेल संघ की कार्यकारिणी समिति रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी तथा खेल संघ के कार्यों के प्रबंधन के लिए एक तदर्थ कार्यकारिणी समिति नियुक्त की जाएगी। ऐसी तदर्थ कार्यकारिणी समिति कार्यभार ग्रहण करने के तीस दिन के भीतर असाधारण आम बैठक बुलाएगी तथा संशोधित उप-नियमों को अनुमोदित कराएगी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी तथा उसके पश्चात नए चुनाव कराएगी।

(3) उप-नियमों में संशोधन के पश्चात ऐसे संशोधन के तीस दिन के भीतर नए चुनाव कराए जाएंगे, जहां-

(क) ऐसा संशोधन पूर्व में निर्वाचित कार्यकारिणी समिति को प्रतिस्थापित करने के पश्चात किया गया है;

(ख) पहले से निर्वाचित कार्यकारी निकाय को मतदान कॉलेजियम द्वारा चुना गया है, जिसमें इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य शामिल हैं: बशर्ते कि मतदान कॉलेजियम और उनके संबद्ध संघों के चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पात्रता उप-धारा के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ पर, विभिन्न राज्य स्तरीय खेल संघों और जिला स्तरीय खेल संघों के कार्यकारी निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों का निर्धारण उपधारा (3) के अंतर्गत कोई नया चुनाव कराने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:-

(क) अधिनियम की अनुसूची 'ख' में सूचीबद्ध राज्य स्तरीय खेल संघों के लिए, संबद्ध राज्य स्तरीय खेल संघों द्वारा राजस्थान राज्य खेल परिषद के समक्ष दाखिल रिटर्न और राजस्थान राज्य खेल परिषद के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर, या तो ऐसे रिटर्न के आधार पर या इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि पर संबंधित जिला खेल परिषद के रिकॉर्ड के आधार पर;

(ख) जिला स्तरीय खेल संघों के लिए, मुख्यतः राजस्थान राज्य खेल परिषद के साथ सम्बद्ध राज्य स्तरीय खेल संघों द्वारा दाखिल रिटर्न के आधार पर तथा यदि ऐसे रिटर्न उपलब्ध नहीं हैं, तो अधिनियम के लागू होने की तिथि को जिला खेल परिषद के पास उपलब्ध सम्बद्धता अभिलेख के आधार पर।

(5) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अन्तर्गत आने वाले राज्य स्तरीय खेल संघों से सम्बद्ध जिला स्तरीय खेल संघों तथा स्वयं इस अध्याय के अन्तर्गत न आने वाले संघों का संक्रमण, सम्बन्धित राज्य स्तरीय खेल संघ को पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिए जाने के नौ माह तक पूरा होने दिया जा सकेगा।

35. अपील.- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई खेल संघ या व्यक्ति, ऐसे आदेश पारित किए जाने के तीस दिन के भीतर, युवा मामले एवं खेल विभाग के सचिव को आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

(2) ऐसी अपील में युवा मामले एवं खेल विभाग के सचिव का निर्णय अंतिम होगा तथा उनके आदेश के विरुद्ध संशोधन ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय में किया जा सकेगा।

51. नियम 2004 के नियम 11 के उपनियम (1) से (8) का पुनरुत्पादन भी संदर्भ से बाहर नहीं होगा, इसलिए उन्हें नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:

"11. धारा 26(3) के अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया

अध्यादेश के अध्याय VII के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक खेल संघ को, अध्यादेश की धारा 26 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, अध्यादेश की धारा 26(3) के अंतर्गत अपने चुनाव के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा-

(1) खेल संघ के चुनाव, चुनाव पर्यवेक्षक की उपस्थिति में एक स्वतंत्र चुनाव अधिकारी द्वारा संचालित किए जाएंगे।

(2) चुनाव अधिकारी की नियुक्ति खेल संघ के कार्यकारी निकाय या उसके उपनियमों के अंतर्गत उसे नियुक्त करने के लिए अधिकृत पदाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की जाएगी। ऐसे चुनाव अधिकारी का नाम, पता और संपर्क नंबर चुनाव के लिए जारी नोटिस में सूचित किया जाएगा।

(3) ऐसा चुनाव अधिकारी पारदर्शी रूप से स्वतंत्र होगा, उसने कभी भी संघ से कोई शुल्क, पारिश्रमिक या असाइनमेंट स्वीकार नहीं किया होगा और वह संघ या उसके किसी भी सदस्य का मतदान या गैर-मतदान सदस्य नहीं होगा। संबद्ध इकाइयों में से किसी एक का चुनाव कराना होगा और सहकारी निकाय, नगरपालिका या पंचायत संस्था अथवा किसी अन्य संवैधानिक निकाय के चुनाव कराने का अनुभव होना चाहिए।

(4) नामांकन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित समय और स्थान पर प्राप्त किए जाएंगे। वह इसकी विधिवत क्रमांकित रसीद उपलब्ध कराएगा। वह उस खेल संघ की सहायता ले सकता है जिसके चुनाव वह करा रहा है।

(5) चुनाव का स्थान संबंधित संघ के कार्यकारी निकाय अथवा उस संघ के उपनियमों में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा तय किया जाएगा।

(6) राज्य स्तरीय खेल संघ के चुनाव का स्थान जिला मुख्यालय से नीचे नहीं होगा और जिला स्तरीय खेल संघ के लिए स्थान नगरपालिका या पंचायत मुख्यालय से नीचे नहीं होगा और सार्वजनिक स्थान पर होगा। चुनाव कराने के लिए निजी आवास अथवा निजी परिसर का उपयोग नहीं किया जाएगा। हालाँकि, जिला या नगर पालिका/पंचायत मुख्यालय के अलावा कोई अन्य स्थान, जैसा भी मामला हो, रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से तय किया जा सकता है।

(7) रजिस्ट्रार को यदि निर्वाचन की सूचना जारी होने के पश्चात किसी भी स्तर पर यह विश्वास हो कि निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति उपनियम (3) के अनुसार नहीं है, तो रजिस्ट्रार नियुक्ति को रद्द कर सकेगा तथा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा। इसी प्रकार, यदि निर्वाचन का स्थान उपनियम (6) के उल्लंघन में है, तो रजिस्ट्रार को दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर संतुष्ट होने पर वह स्थान परिवर्तित कर सकेगा।

(8) यदि रजिस्ट्रार द्वारा उपनियम (7) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की जाती है, तो वह निर्वाचन की तिथि को न्यूनतम 15 दिन के लिए स्थगित कर सकेगा तथा सभी मतदान करने वाले तथा गैर-मतदान करने वाले सदस्यों को इसकी सूचना दे सकेगा तथा संबंधित खेल निकाय के सचिव को इसका अनुमोदन कर सकेगा, जो इसे सभी सदस्यों को अनुमोदन करेगा। सचिव द्वारा जारी अनुमोदन को निर्वाचन की संशोधित सूचना माना जाएगा। अनुमोदन जारी करने में कोई भी विफलता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संचालन के लिए एक तदर्थ कार्यकारी समिति नियुक्त करने का आधार होगी।

52. वर्तमान रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर पहले विस्तार से चर्चा करना उचित होगा।

53. वर्तमान रिट याचिका दिनांक 24.05.2024 के आदेश का विरोध करती है, जिसके परिणामस्वरूप एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर चुनाव नवनियुक्त चुनाव अधिकारी - मंजू सहारण द्वारा आयोजित किए गए हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं ने भी प्रकाशित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़े और दिनांक 24.05.2024 के विवादास्पद आदेश को दरकिनार या अनदेखा करते हुए उक्त सूरजा राम बिश्नोई के तत्वावधान में चुनाव आयोजित किए गए हैं।

54. परिणामस्वरूप, निर्वाचित प्रतिनिधियों के दो समूह विद्यमान हैं। 2005 के अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान किया गया है तथा ऐसी अपील सरकार के सचिव के समक्ष की जा सकती है। सामान्य परिस्थितियों में, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचता, लेकिन जैसा कि पिछले पैरा और पैरा संख्या 29 में कहा गया है कि दोनों निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनाव कराए गए हैं तथा दो कार्यकारी निकाय अस्तित्व में आए हैं, जो स्वयं को कार्यकारी निकाय के वैध रूप से निर्वाचित सदस्य होने का दावा कर रहे हैं, चुनाव की वैधता और विधिमान्यता तथा निर्वाचित सदस्यों ने चुनाव विवाद को जन्म दिया है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत सुलह और मध्यस्थता के रूप में उपाय उपलब्ध है।

55. यदि याचिकाकर्ताओं को वैधानिक उपचारों का लाभ उठाने के लिए पदच्युत किया जाना था, तो उन्हें सबसे पहले अधिनियम 2005 की धारा 35 के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष दिनांक 24.05.2024 के आदेश को चुनौती देनी चाहिए और यदि उनकी चुनौती सफल होती है, तो उन्हें कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित सदस्यों के चुनाव को चुनौती देनी होगी, जो नवनियुक्त चुनाव अधिकारी - मंजू सहारण द्वारा आयोजित चुनावों के माध्यम से चुने गए हैं।

56. इस न्यायालय के अनुसार, यदि दिनांक 24.05.2024 के मूल आदेश को रद्द कर दिया जाता है, तो इसका निश्चित रूप से परिणामी चुनावों पर असर पड़ेगा। वास्तव में, नवनियुक्त चुनाव अधिकारी (मंजू सहारण) द्वारा आयोजित चुनावों में जीतने वाले निर्वाचित निकाय के चुनाव आक्षेपित आदेश का परिणाम हैं। और शायद यही कारण है कि, याचिकाकर्ताओं ने चुनावों को रद्द करने या निर्वाचित उम्मीदवारों के चुनावों को अवैध घोषित करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं ने चुनाव के परिणाम को चुनौती दी है या यह विवाद चुनावी विवाद है, जिससे याचिकाकर्ताओं को 2005 के अधिनियम की धारा 16 के तहत मध्यस्थता का सहारा लेने की आवश्यकता हो।

57. यदि याचिकाकर्ता अधिनियम 2005 की धारा 16 के अनुसार मध्यस्थता का उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे इसे किसी भी या सभी आधारों पर चुनौती दे सकते हैं, जो चुनावों से संबंधित हैं, लेकिन अधिनियम 2005 की धारा 16 के तहत नियुक्त मध्यस्थ राज्य सरकार के आदेश या प्रतिवादी संख्या 2 के दिनांक 24.05.2024 के आदेश की सत्यता, वैधता या अन्यथा पर निर्णय देने के लिए सक्षम या अधिकृत नहीं होगा।

58. यह सच है कि दिनांक 24.05.2024 के आक्षेपित आदेश को अधिनियम 2005 की धारा 35 के अनुसार अपील के अधीन किया जा सकता है, लेकिन यदि संपूर्ण तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखा जाता है, तो विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सुझाए गए अपील का उपाय एक ओर अप्रभावी है और दूसरी ओर मुकदमेबाजी की बहुलता को जन्म देता है।

59. इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि याचिकाकर्ताओं को अधिनियम 2005 की धारा 35 के तहत उपाय का लाभ उठाने के लिए बाध्य करना और फिर अधिनियम की धारा 16 के तहत दिए गए मध्यस्थता का आह्वान करना (यदि आवश्यक हो) चुनावों को चुनौती देने के लिए अपने संवैधानिक दायित्वों से मुंह मोड़ने जैसा होगा।

60. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में जो देखा गया है, उसके अलावा, इस न्यायालय का मत है कि यह मुद्दा कि क्या रजिस्ट्रार अधिनियम 2005 की धारा 26 के तहत परिकल्पित पहले चुनाव के अलावा अन्य चुनावों के संबंध में नियम 2004 के नियम 11(4), 11(6), 11(7) और 11(8) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का आह्वान कर सकता है, मामले की जड़ तक जाता है। चूंकि, आक्षेपित आदेश को विधि के अधिकार के बिना तथा अधिकार क्षेत्र के अभाव में शून्य माना गया है, अतः इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए राजी किया जाता है।

61. इसके अतिरिक्त, विचाराधीन मुद्दा विशुद्ध रूप से विधि का प्रश्न है, जिस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। यह प्रश्न पूरे राज्य में प्राधिकारियों द्वारा पारित अनेक समान आदेशों को प्रभावित कर सकता है, अतः यह न्यायालय इस पर निर्णय करना समीचीन समझता है, ताकि अन्यथा स्पंदित तथा पेचीदा प्रश्न पर शांति मिल सके, जिसका प्रथम दृष्टया कोई तैयार तथा आसान उत्तर नहीं है।

62. अतः विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

63. दिनांक 24.05.2024 के आदेश की वैधता और शुद्धता पर आगे बढ़ते हुए, यह याद रखना चाहिए कि श्री बलिया ने सबसे पहले तर्क दिया है कि कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है। यह न्यायालय मामले के तथ्यात्मक विवरण पर वापस लौटेगा, जो दर्शाता है कि प्रतिवादियों ने 2005 के अधिनियम की धारा 23 के तहत एक जांच शुरू की थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 8529/2024) पेश की है, जिसमें इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने प्रतिवादियों को 21.05.2024 को नोटिस जारी करने और अंतरिम राहत देने

की कृपा की है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जैसे ही याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम आदेश की प्रति प्रस्तुत की, प्रतिवादी संख्या 2 ने रिट याचिका को निष्फल करने और किसी भी प्रतिकूल आदेश को टालने के लिए (24.05.2024 को) आपत्तिजनक आदेश पारित कर दिया।

64. इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ताओं का ऐसा दावा एक आशंका से अधिक कुछ नहीं है। सबसे पहले, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा 21.05.2024 को पारित अंतरिम आदेश हानिरहित था - उच्च न्यायालय ने अधिनियम 2005 की धारा 23 के तहत कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है, इसने केवल यह देखा है कि चुनाव रिट याचिका के परिणाम के अधीन रहेंगे।

65. यह आरोप लगाना आसान है, लेकिन विश्वास करना कठिन है, कि प्रतिवादी संख्या 2 ने पहले की रिट याचिका को निष्फल बनाने के लिए 2004 के नियम 11 के तहत शक्तियों का सहारा लिया। यह ध्यान देने योग्य है कि चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित किया जा चुका था और चुनाव होने वाले थे। इसलिए, इस आधार पर दुर्भावना का आरोप कि रिट याचिका को निष्फल करने के लिए आदेश पारित किया गया था, गलत है।

66. इसलिए, यह न्यायालय इस विचारित राय पर है कि दिनांक 24.05.2024 के आदेश को केवल समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए शक्तियों के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग का परिणाम नहीं माना जा सकता है। आदेश कानूनी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है और शक्तियों का उचित तरीके से प्रयोग नहीं किया गया हो सकता है, लेकिन केवल गलत निर्णय के कारण, शक्तियों के प्रयोग को कथित रूप से दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

67. कार्यवाही को दुर्भावनापूर्ण होने का दावा करने के तर्क का एक और पहलू वह तरीका था जिससे आदेश पारित किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया है। लेकिन फिर जल्दबाजी अपने आप में एकमात्र निर्णायक कारक नहीं हो सकती है जो यह साबित करे कि आदेश दुर्भावनापूर्ण तरीके से पारित किया गया है।

68. यह सच है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने 24.05.2024 को तीन व्यक्तियों द्वारा लिखित शिकायत के अनुसरण में आदेश पारित किया है, जो 24.05.2024 को ही प्राप्त हुई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि उसी दिन, प्रतिवादी संख्या 2 ने न केवल शिकायतकर्ताओं के हलफनामे प्राप्त किए थे, बल्कि विवादास्पद आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े हैं। इस न्यायालय के अनुसार, इस तरह के आदेश को शक्तियों

का मनमाना प्रयोग माना जा सकता है, लेकिन शक्तियों का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग नहीं।

69. जैसा भी हो। नियम 11(6) और 11(7) को अक्षरशः पढ़ने पर, निर्वाचित सदस्यों या निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी करने या सुनवाई का अवसर देने का प्रावधान नहीं है और इसलिए, यदि प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 24.05.2024 को पारित किए गए आदेश को पारित करने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया है, तो यह कहा जा सकता है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इस मामले में मनमाना है।

70. यह न्यायालय महसूस करता है कि आदर्श रूप से, प्रतिवादी संख्या 2 को निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी करना चाहिए था और शिकायतकर्ता के आरोपों की सत्यता के बारे में उनकी प्रतिक्रिया मांगनी चाहिए थी, इस तथ्य के बावजूद कि नियम 11 के उप-नियम (7) में नोटिस जारी करने की परिकल्पना नहीं की गई है। उन्हें आदेश पारित नहीं करना चाहिए था, जिस तरह से किया गया। उसी तारीख को आदेश पारित करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी, खासकर तब जब चुनाव 01.06.2024 को होने थे।

71. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलिया द्वारा उठाया गया एक अन्य प्रश्न यह था कि प्रतिवादी संख्या 2 और रजिस्ट्रार के पास 2004 के नियम 11(3), 11(6), 11(7) और 11(8) को लागू करने के लिए आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं है, क्योंकि अध्याय-V के तहत दिए गए ये प्रावधान अस्थायी प्रावधान थे और पहली बार आयोजित चुनावों पर लागू थे, अर्थात 2004 के अध्यादेश/2005 के अधिनियम की धारा 26 द्वारा शासित चुनाव।

72. प्रतिवादियों ने अपने उत्तर में दावा किया है कि रजिस्ट्रार के पास 2004 के नियम 11 के आधार पर ऐसा आदेश पारित करने की अपेक्षित शक्तियां हैं। हालांकि, विद्वान महाधिवक्ता ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि 2005 के अधिनियम की धारा 13 के तहत चुनावों से निपटने के लिए कोई संगत प्रावधान नहीं है, एक सुरक्षात्मक छत्र पेश किया, जो दृढ़ता से 'कैसस ओमिसस' के सिद्धांत का आधार।

73. 2004 के नियम 11 की प्रयोज्यता के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती - यह निश्चित रूप से क्षणिक प्रावधान है, जो पहले चुनावों के लिए लागू होता है, जो 2005 के अधिनियम की धारा 26 के अनुसार आयोजित किए गए थे। इस मुद्दे पर भी कोई विवाद नहीं हो सकता है कि 2004 के नियम में कोई संगत प्रावधान नहीं

है, जो राज्य के हस्तक्षेप का प्रावधान करता है और 2004 के नियम 11 जैसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है, जो 2005 के अधिनियम की धारा 13 द्वारा कवर किए गए चुनावों के लिए है। 2005 के अधिनियम की धारा 26 द्वारा शासित चुनावों में हस्तक्षेप करने की राज्य की शक्ति और अधिनियम की धारा 13 द्वारा शासित चुनावों के बीच एक बड़ा अंतर है।

74. लेकिन इस न्यायालय के सामने जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या न्यायालय को इस कमी को पूरा करना चाहिए और राज्य द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि करनी चाहिए और/या रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेशों को बरकरार रखना चाहिए?

75. इस प्रश्न का कोई आसान उत्तर नहीं है। राज्य में पिछले 20 वर्षों से प्रचलित प्रथाओं और आरोपों के बीच संतुलन बनाते हुए, आस-पास की परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

76. यह ध्यान देने योग्य है कि 2004 का अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 को लागू करके लागू किया गया था और अध्यादेश के साथ ही नियम भी बनाए गए थे। चूंकि अध्यादेश की अवधि छह महीने थी, इसलिए नियम बनाते समय नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने 2004 के नियमों के नियम 11 को उसी तरह बनाया था, जैसा कि पहले चुनाव को शामिल करने के लिए बनाया गया था, जो 2005 के अधिनियम की धारा 26 द्वारा शासित थे। नियम बनाने वाला प्राधिकारी यह कल्पना करने में भी विफल रहा कि ये नियम जारी रहेंगे और चार साल की पहली अवधि समाप्त होने के बाद, 2005 के अधिनियम की धारा 13 के अनुसार फिर से चुनाव होंगे।

77. 2004 के नियमों को देखने पर, इस न्यायालय को शायद ही कोई प्रावधान मिला हो, जो बाद के चुनावों या अध्यादेश/अधिनियम की धारा 13 के तहत चुनावों का संदर्भ भी देता हो। इसलिए, यह विधायकों की ओर से विधायी कमी या चूक का एक क्लासिक मामला है।

78. फिर जो प्रश्न उभर कर आता है, वह यह है कि क्या अधिनियम 2005 की धारा 13 के अनुसार होने वाले आगामी चुनावों के लिए नियम 11 जैसे किसी प्रावधान का न होना राज्य/नियम बनाने वाले प्राधिकरण का सूचित और सचेत निर्णय है या यह एक अनजाने में हुई गलती है?

79. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलिया ने उत्साहपूर्वक तर्क दिया कि यह राज्य सरकार का सचेत निर्णय था कि वह अधिनियम 2005 की धारा 13 द्वारा शासित चुनावों पर नियम 2004 के नियम 11 को लागू न करे या ऐसा कोई नियम न

बनाए जो अधिनियम 2005 की धारा 13 के तहत होने वाले आगामी चुनावों को नियंत्रित करे। उनका रुख यह था कि अधिनियम 2005 का उद्देश्य खेल संघों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना था। श्री बलिया द्वारा दिए गए तर्क अनिवार्य रूप से विधायी मंशा पर आधारित हैं। और किसी विशेष अधिनियम को लाने के पीछे क्या उद्देश्य और कारण थे, यह बताने से बेहतर कोई और काम नहीं हो सकता।

80. यह न्यायालय किशोर रूंगटा (सुप्रा) के मामले में निर्णय देते समय इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्यों और कारणों के कथन पर विचार कर सकता है, जिसके उद्देश्यों और कारणों के कथन को तत्काल आदेश के पैरा संख्या 49 में प्रस्तुत किया गया है। इसे ध्यान से देखने और 2005 के अधिनियम के आरंभिक भाग का अवलोकन करने पर, यह न्यायालय पाता है कि 2005 का अधिनियम खेल संघों के पंजीकरण, अनुशंसा और विनियमन के लिए अधिनियमित किया गया था।

81. इसके अलावा, यह न्यायालय पाता है कि विधायकों ने अपनी बुद्धि से खेल संघों को विनियमित करना उचित समझा, ताकि एक लोकतांत्रिक संरचना बनाई जा सके, जो खिलाड़ियों का विकास करेगी और खेल संघों के कामकाज के लिए स्वस्थ वातावरण बनाएगी जो बदले में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभाओं का पोषण, विकास और तैयारी करेगी।

82. यह कथन स्पष्ट शब्दों में खेल निकायों को विनियमित करने की आवश्यकता और अनिवार्यता को रेखांकित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी स्तरों पर प्रतिनिधि चरित्र में काम करें और उन्हें जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व के समान अवसर मिलें ताकि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की जा सके।

83. उद्देश्यों के कथन पर विचार करने के पश्चात, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ताओं का यह तर्क निराधार है कि 2004 का अध्यादेश/2005 का अधिनियम राज्य के हस्तक्षेप को रोकने के लिए बनाया गया था। वास्तव में, 2005 के अधिनियम की योजना स्पष्ट रूप से बताती है कि इसे न केवल खेल गतिविधियों को विनियमित करने के लिए, बल्कि ऐसे खेलों से संबंधित संघों और संघों के व्यक्तियों को भी विनियमित करने के लिए पेश किया गया था।

84. 2005 के अधिनियम की धारा 35 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रार द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई भी खेल संघ या व्यक्ति सरकार के सचिव के समक्ष अपील कर सकता है। 2005 के अधिनियम की

धारा 35 और विभिन्न अन्य प्रावधान स्पष्ट रूप से रजिस्ट्रार को अधिनियम 2005 के तहत उचित आदेश पारित करने की शक्तियों के बारे में बताते हैं।

85. जब 2005 का अधिनियम राज्य के हस्तक्षेप या रजिस्ट्रार की भूमिका को स्वीकार करता है, तो यह न्यायालय यह समझने में विफल रहता है कि 2005 के अधिनियम की धारा 13 के तहत चुनाव प्रक्रिया को राज्य के हस्तक्षेप से कैसे मुक्त कहा जा सकता है।

86. जब अधिनियम 2005 की धारा 26 के अंतर्गत चुनावों को रजिस्ट्रार के हस्तक्षेप के लिए स्पष्ट प्रावधान द्वारा खुला रखा गया है, तो इस न्यायालय को यह स्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता कि अधिनियम 2005 की धारा 13 द्वारा शासित बाद के चुनावों के दौरान रजिस्ट्रार को दृश्य से बाहर रखने का नियम बनाने वाले प्राधिकारी का यह सचेत निर्णय था।

87. नियम 2004 का नियम 11 स्पष्ट रूप से एक अस्थायी प्रावधान था और अधिनियम 2005 की धारा 26 के अनुसार आयोजित होने वाले पहले चुनाव के लिए था, और नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने रजिस्ट्रार को उचित मामलों में हस्तक्षेप करने का इरादा किया था, इसलिए, यह अनुमान लगाने का कोई कारण नहीं है कि राज्य ने बाद के चुनावों में रजिस्ट्रार की भूमिका का इरादा नहीं किया था।

88. इसके अलावा, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष लिए गए विशिष्ट रुख पर विचार करते हुए कि उन्होंने राज्य को नियमों को उचित रूप से संशोधित करने की सलाह पहले ही दे दी है, इस न्यायालय का यह विचार है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी की ओर से स्पष्ट, प्रत्यक्ष और अनजाने में हुई त्रुटि है कि 2004 के नियमों के नियम 11 में निहित प्रावधानों के समान कोई प्रावधान नहीं किया गया और कोई संशोधन पेश नहीं किया गया, जो 2005 के अधिनियम की धारा 13 के तहत बाद के चुनावों को नियंत्रित कर सके।

89. इसलिए, यह 'कैसस ओमिसस' का स्पष्ट मामला है।

90. फिर सवाल यह उठता है कि क्या इस न्यायालय को इस कमी को पूरा करना चाहिए और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित किए गए आक्षेपित कार्रवाई और आदेश को बचाना चाहिए।

91. जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इस न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3985/2020 (जिला क्रिकेट संघ, भरतपुर एवं अन्य बनाम उप रजिस्ट्रार एवं अन्य) में पारित दिनांक

06.03.2020 के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है, इसी प्रकार का प्रश्न इस न्यायालय के विचाराधीन है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि रजिस्ट्रार 2005 के अधिनियम की धारा 13 के तहत चुनावों के लिए 2004 के नियमों के नियम 11 का सहारा ले रहे हैं।

92. यदि इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया होता और यह माना गया होता कि 2004 के नियमों का नियम 11 केवल अस्थायी प्रावधान है और इसे 2005 के अधिनियम की धारा 13 द्वारा शासित चुनावों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो राज्य ने नियमों में संभवतः उपयुक्त संशोधन किया होता, जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता ने अब सुझाया है।

93. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि नियम विधानमंडल के अधीनस्थ होने के कारण उन्हें पूर्वव्यापी रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता और संशोधन, भले ही अब लाया गया हो, भावी रूप से लागू होगा।

94. इस न्यायालय का विचार है कि यदि अब तक लिए गए निर्णयों को अवैध या शून्य माना जाता है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है, तो न केवल अब तक पारित आदेश, जो लंबित मुकदमे का विषय हैं, बल्कि अन्य आदेश भी, जो विभिन्न चुनाव विवादों या अन्य विवादों के अधीन हो सकते हैं, अवैध माने जाएंगे। इस न्यायालय द्वारा इस तरह के अतिवादी दृष्टिकोण का चुनाव संबंधी विवादों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

95. चुनाव किसी भी मामले में वैधानिक अधिकार हैं, न कि मौलिक अधिकार। इसलिए, यह न्यायालय महसूस करता है कि याचिकाकर्ताओं के तर्क में सार और योग्यता की परवाह किए बिना, 2004 के नियम 11 के तहत अब तक की गई कार्रवाइयों को विधायी चूकों को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर बचाया/संरक्षित किया जाना चाहिए।

96. यह ध्यान देने योग्य है कि कोई अलग नियम नहीं बनाया गया है जो अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आने वाले चुनावों पर लागू होगा। विशिष्ट प्रावधान के अभाव के बावजूद, याचिकाकर्ता संघ ने प्रक्रिया शुरू की है और चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है और 2004 के नियम 11 की भावना के अनुसार चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित किया है। इस न्यायालय का विचार है कि जब याचिकाकर्ता स्वयं निर्वाचित हुए हैं और उन्होंने 2004 के नियम 11 के अनुसार या नियम 11 की भावना के अनुसार चुनाव में भाग लिया है, तो वे यू टर्न नहीं ले सकते और यह तर्क नहीं दे सकते कि नियम 11 लागू नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रार द्वारा हस्तक्षेप उन्हें अनुकूल नहीं लगता।

97. याचिकाकर्ताओं का तर्क दोधारी तलवार है, यदि यह रजिस्ट्रार के पंख कतरने का प्रयास करता है, तो यह उनके अस्तित्व की उत्पत्ति को भी काटता है - निर्धारित नियम या प्रक्रिया के अभाव में या नियम 11 की प्रयोज्यता के बिना, याचिकाकर्ताओं के स्वयं के चुनाव सहित अब तक हुए सभी चुनाव अमान्य हो जाएंगे।

98. इसलिए, यदि याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह बेतुकापन और अराजकता की ओर ले जाएगा। किसी भी कानून की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती।

99. इस न्यायालय के अनुसार, राज्य या नियम बनाने वाले प्राधिकरण की ओर से ऐसी चूक या गलती को संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करके उच्च न्यायालय द्वारा कवर किया जाना आवश्यक है। एक प्रावधान, जिसका उपयोग किया जा रहा है और एक शक्ति जिसका प्रयोग रजिस्ट्रार द्वारा पिछले 20 वर्षों से किया जा रहा है, संरक्षित किए जाने योग्य है, अन्यथा यह बेतुके परिणाम देगा।

100. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को पढ़ने के बाद, यह न्यायालय इस विचार पर है कि राज्य की 'कारण चूक' की दलील स्वीकार करने योग्य है - रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा 2004 के नियमों के नियम 11 को लागू करते समय अब तक की गई कार्रवाई को अलग रखा जाना चाहिए।

101. इस प्रकार, यह न्यायालय यह मानता है कि 2004 के नियमों के नियम 11 को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि यह 2005 के अधिनियम की धारा 13 के तहत चुनावों पर भी लागू हो। तदनुसार, असमान परिणामों को रोकने के लिए, यह न्यायालय यह मानकर अंतराल को भरेगा कि धारा 13 को अधिनियम 2005 की धारा 26 के साथ सम्मिलित माना जाएगा और पढ़ा जाएगा, जहां भी यह 2004 के नियम 11 में आता है। तदनुसार, नियम 2004 के नियम 11 का प्रारंभिक पैरा इस प्रकार पढ़ा जाएगा:-

> **"11. धारा 13 और 26(3) के तहत चुनावों के लिए चुनाव प्रक्रिया**- अध्यादेश के अध्याय VII के तहत आने वाले प्रत्येक खेल संघ, अध्यादेश की धारा 13 और 26 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, अध्यादेश की धारा 13 और 26(3) के तहत अपने चुनावों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा-
>
> (1) ... ...
>
> (2) ... ...

(3) ... ...

102. यह मानते हुए कि 2004 के नियमों का नियम 11, 2005 के अधिनियम की धारा 13 के अनुसार अधिसूचित वर्तमान चुनावों पर लागू है, दिनांक 24.05.2024 के आदेश का परीक्षण वैधानिक प्रावधानों, जैसे कि वे विद्यमान हैं, विशेष रूप से 2004 के नियम 11 के उप-नियम (6) और (7) के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

103. यद्यपि विद्वान महाधिवक्ता का यह रुख था कि इस मुद्दे को 2005 के अधिनियम की धारा 35 के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा तय किए जाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि, इस संबंध में उनके द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को पहले ही खारिज कर दिया गया है, और इस तरह के मुद्दे के न्यायनिर्णयन के लिए किसी जटिल तथ्यात्मक निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, इस न्यायालय को लगता है कि बार में उठाए गए सभी सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। पक्षों को अपीलीय प्राधिकारी के पास जाने के लिए बीच में नहीं छोड़ा जा सकता।

104. दिनांक 24.05.2024 के आदेश पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि शिकायतकर्ताओं ने तीन आरोप लगाए थे। प्रतिवादी संख्या 2 ने कोई जाँच नहीं की और केवल शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर की गई शिकायत/शपथपत्रों पर भरोसा किया और माना कि 'विरासत विद्यापीठ' - एक निजी स्कूल, एक सार्वजनिक स्थान नहीं है और निष्कर्ष निकाला है कि इसे चुनाव कराने के लिए स्थल के रूप में नहीं लिया जा सकता है। ऐसा करते समय, प्रतिवादी संख्या 2 ने यह भी देखा है कि चुनाव अधिकारी (सूरजा राम बिश्नोई) ने पत्राचार और आपत्तियाँ आमंत्रित करने के उद्देश्य से अपना आवासीय पता दिया है, जो नियम 2004 के नियम 11 के उप-नियम (6) के अनुसार नहीं है।

105. इस न्यायालय को चुनाव अधिकारी के निर्णय में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता है, जिन्होंने पत्राचार और आपत्तियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना पता दिया था। अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिला क्रिकेट संघ, हनुमानगढ़ का अपना कार्यालय या भवन था, जहां चुनाव अधिकारी नियुक्त होने के बाद चुनाव संपन्न होने तक बैठ सकता था।

106. इसके अलावा, नियम 2004 के नियम 11 का उप-नियम (6) केवल 'चुनाव के लिए स्थल' का प्रावधान करता है, न कि 'पत्राचार और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए स्थल' का। नियम 11 का उप-नियम (6) स्पष्ट शब्दों में यह प्रावधान करता है कि चुनाव कराने के लिए निजी आवास या निजी परिसर का उपयोग नहीं किया

जाएगा। 'चुनाव कराने' का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि चुनाव अधिकारी अपने आवास पर आपत्तियां और पत्राचार भी प्राप्त नहीं कर सकता।

107. इस न्यायालय के अनुसार नामांकन पत्र आदि प्राप्त करना समय की दृष्टि से संवेदनशील कार्य है, जबकि आपत्तियां और पत्राचार प्राप्त करना नहीं। यह अपेक्षा करना कि निर्वाचन अधिकारी उस स्थान पर पत्राचार और आपत्तियां प्राप्त करेगा, जहां चुनाव होने हैं, अव्यावहारिक है। जब तक किसी संघ का अपना कार्यालय या भवन नहीं है और निर्वाचन अधिकारी को समर्पित स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन अधिकारी अपने निवास पर पत्राचार और आपत्तियां प्राप्त नहीं कर सकता।

108. यदि किसी निर्वाचन अधिकारी ने पत्राचार और आपत्तियां प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने निवास का पता दिया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह नियम 2004 के नियम 11 के उपनियम (6) के विपरीत है। ऐसे तथ्य को वैधानिक आदेश का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। यह तथ्य कि पत्राचार और आपत्तियाँ चुनाव अधिकारी के आवासीय पते पर ही देने के लिए कहा गया है, अन्य सामग्री के बिना, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ समझौता नहीं माना जा सकता है।

109. अन्य कारण, जिसके लिए चुनाव अधिकारी को हटाया गया है, वह यह है कि उन्होंने चुनाव कराने के लिए 'विरासत विद्यापीठ' को स्थान निर्धारित किया है।

110. इस न्यायालय को 'विरासत विद्यापीठ' - एक निजी स्कूल को चुनाव के लिए स्थान निर्धारित करने में कोई अनियमितता नहीं लगती है। चुनाव किसी स्कूल में, शायद किसी निजी स्कूल में भी हो सकते हैं, जब तक कि इस बात की आशंका या कारण न हों कि किसी विशेष स्थान या निजी स्कूल में चुनाव कराने से चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित होगी। यदि ऐसा है, तो रजिस्ट्रार अधिक से अधिक चुनाव के स्थान को बदल सकते हैं।

111. अधिनियम 2005 और नियम 2004 में 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए इस अभिव्यक्ति की व्याख्या अधिनियम की योजना के संदर्भ में की जानी चाहिए। संबंधित अधिनियमों के संबंध में 'सार्वजनिक स्थान' को परिभाषित करने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं। हालांकि, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत, राजस्व निदेशालय बनाम मोहम्मद निसार होलिया के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2008) 2 एससीसी 370 का हवाला दिया जा सकता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि 'सार्वजनिक स्थान' में कोई भी

सार्वजनिक वाहन, होटल, दुकान या अन्य स्थान शामिल है जो जनता के उपयोग के लिए है या जनता के लिए सुलभ है।

112. नियम 2004 के नियम 11 के उपनियम (7) को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि यह दो स्थितियों से संबंधित है। यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि चुनाव अधिकारी की नियुक्ति नियम 2004 के नियम 11 के उपनियम (3) के अनुसार नहीं है, तो वह नियुक्ति को रद्द कर सकता है और अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त कर सकता है और यदि उसे लगता है कि चुनाव का स्थान नियम 11 के उपनियम (6) के उल्लंघन में है, तो रजिस्ट्रार 'स्थान बदल सकता है'।

113. इसे थोड़ा और विस्तार से समझाते हुए कहा जा सकता है कि 2004 के नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार चुनाव अधिकारी की नियुक्ति को रद्द कर सकता है, यदि चुनाव अधिकारी की नियुक्ति 2004 के नियम 11 के उप-नियम (3) के विपरीत है और यदि स्थान 2004 के नियम 11 के उप-नियम (6) के अनुसार नहीं है, तो वह स्थान बदल सकता है।

114. लेकिन, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 ने यह पाते हुए नियुक्ति को सीधे रद्द कर दिया है कि चुनाव का स्थान 2004 के नियम 11 के उप-नियम (3) के अनुसार नहीं है।

115. इस न्यायालय के अनुसार, सबसे पहले यह निष्कर्ष कि 'विरासत विद्यापीठ' एक सार्वजनिक स्थान नहीं है, गलत था। यदि प्रतिवादी संख्या 2 का ऐसा मत होता, तो वह निजी होटल में चुनाव कराने का समर्थन नहीं कर सकता था, जैसा कि उसके द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी द्वारा तय किया गया था। अन्यथा भी, यदि उसका मत होता कि 'विरासत विद्यापीठ' सार्वजनिक स्थान नहीं है, तो वह अधिक से अधिक स्थान बदल सकता था, लेकिन किसी भी स्थिति में वह चुनाव अधिकारी की नियुक्ति को रद्द नहीं कर सकता था, क्योंकि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे पता चले कि चुनाव अधिकारी (सूरजा राम बिश्नोई) की नियुक्ति 2004 के नियम 11 के उप-नियम (3) के विपरीत थी।

116. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव अधिकारी को बदलने का कारण केवल यह था कि चुनाव स्थल कानून के अनुसार नहीं है और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए पत्राचार हेतु दिया गया पता चुनाव स्थल से भिन्न है।

117. इस न्यायालय का विचार है कि आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से अवैध है और नियम 11(3) और 11(6) तथा विशेषकर 2004 के नियम 11(7) के विपरीत है।

118. यह स्वीकृत तथ्य है कि मंजू सहारण ने चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के पश्चात कार्यवाही बिना किसी पूर्व सूचना के की है और चुनाव एक निजी होटल (होटल ग्रांड इन, टाउन रोड) में हुए हैं, जैसा कि उनके द्वारा जारी 25.05.2024 के चुनाव नोटिस से स्पष्ट है।

119. जो भी हो। नवनियुक्त चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करना न्यायोचित था या नहीं, यह मूलतः एक चुनाव विवाद है और किसी भी दलील और सामग्री के अभाव में, यह न्यायालय इस मुद्दे पर विस्तार से विचार करने से परहेज करेगा।

120. चर्चा के परिणामस्वरूप, दिनांक 24.05.2024 को आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है तथा अपास्त किया जाता है।

121. यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 24.05.2024 के आदेश द्वारा, पूर्ववर्ती चुनाव अधिकारी (सूरजा राम बिश्नोई) को कार्यालय से हटा दिया गया था। सर्वविदित कारणों से, दिनांक 24.05.2024 के आक्षेपित आदेश की परवाह किए बिना, चुनाव सूरजा राम बिश्नोई द्वारा कराए गए हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

122. यह सही है कि याचिकाकर्ताओं ने तत्काल वर्तमान रिट याचिका (दिनांक 27.05.2024) प्रस्तुत की है, तथा यह राज्य था, जिसने समय लिया। लेकिन इस अंतराल में चुनाव सूरजा राम बिश्नोई द्वारा नहीं कराए जाने चाहिए थे। इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि किसी अन्तरिम आदेश के अभाव में याचिकाकर्ता और उक्त सुरजा राम बिश्नोई स्वयं कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकते थे और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते थे। सुरजा राम बिश्नोई के तत्वावधान में चुनाव कराना राज्य प्राधिकरण के आदेश की अवहेलना करने जैसा है, जिसे कानून के शासन द्वारा संचालित समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

123. दिनांक 24.05.2024 के आदेश को निरस्त किये जाने के परिणामस्वरूप मंजू सहारण की चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्ति और परिणामी चुनाव भी अवैध हो गये हैं।

124. यह न्यायालय यह भी देखना चाहेगा कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सुरजा राम बिश्नोई की चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्ति रद्द कर दी गई थी, इसलिए वे चुनाव अधिकारी के पद पर बने नहीं रह सकते और चुनाव नहीं करा सकते, जैसा कि उनके द्वारा किया गया है। दिनांक 24.05.2024 के आदेश पारित होने के बाद सुरजा राम बिश्नोई द्वारा स्वीकार किए गए नामांकन पत्र और परिणाम की घोषणा

सहित सभी परिणामी कार्रवाई स्पष्ट रूप से अवैध और कानून के अधिकार के बिना की गई थी।

125. दिनांक 10.05.2024 के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि 25.05.2024 और 26.05.2024 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक थी और 24.05.2024 को नामांकन दाखिल किए जाने से पहले ही उक्त सुरजा राम बिश्नोई की चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्ति रद्द कर दी गई थी।

126. इसलिए, इस न्यायालय का यह विचार है कि कानूनी कल्पना द्वारा दिनांक 10.05.2024 का चुनाव कार्यक्रम सुप्तावस्था में रहा है और इसे उसी चरण से पुनः आरंभ/प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है जहां इसे विफल किया गया था - नामांकन दाखिल करने का चरण।

127. निर्वाचन अधिकारी, अर्थात् सुरजा राम बिश्नोई को निर्देश दिया जाता है कि वे नामांकन दाखिल करने के चरण से 23.09.2024 को या उससे पहले नया चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करें।

128. प्रत्येक पात्र उम्मीदवार को कानून के अनुसार अपना नामांकन दाखिल करने की अनुमति होगी और चुनाव वैध नामांकन के आधार पर होंगे।

129. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार प्रतिवादी संख्या 1 से यह अपेक्षित होगा कि वे तत्काल आदेश के अनुसरण में अधिसूचित किए जाने वाले चुनाव कार्यक्रम के अनुसार चुनावों की देखरेख के लिए एक पर्यवेक्षक (प्रतिवादी संख्या 2 और उक्त मंजू सहारण के अलावा) को नामित करें।

130. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

131. स्थगन आवेदन का भी निपटारा किया जाता है।

(दिनेश मेहता),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक

उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।